Library

E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 12 | Issue : 4 | April 2026

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का विकास : विधिक संरचना, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व एवं समकालीन चुनौतियों का समालोचनात्मक अध्ययन

सत्यवान साहू

अतिथि व्याख्याता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर

How to Cite:
सत्यवान साहू (2026), भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का विकास : विधिक संरचना, अंतरराष्ट्रीय दायित्व एवं समकालीन चुनौतियों का समालोचनात्मक अध्ययन, International Education & Research Journal (IERJ), Vol: 12, Issue: 4, 24-29

ABSTRACT

बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights – IPR) आधुनिक ज्ञान–आधारित समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नवाचार, रचनात्मकता तथा तकनीकी प्रगति के प्रमुख प्रेरक तत्व के रूप में उभरे हैं। ये अधिकार मानव बौद्धिक श्रम से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को विधिक संरक्षण प्रदान कर रचनाकारों एवं आविष्कारकों के आर्थिक तथा नैतिक हितों की रक्षा करते हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणा, उनके प्रमुख प्रकारों, संबंधित राष्ट्रीय विधानों तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभाव का गहन और समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। शोध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भारत ने ट्रिप्स समझौते एवं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मानकों के अनुरूप अपने विधिक ढांचे को सुदृढ़ किया है, किंतु विकासशील देश होने के कारण उसे सार्वजनिक हित, औषधीय उपलब्धता तथा पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यह अध्ययन नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा विधि विशेषज्ञों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

KEYWORDS: बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट कानून, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, ट्रिप्स समझौता

प्रस्तावना

बौद्धिक संपदा, मूल रचनाकारों और आविष्कारकों को उनके आविष्कारों, डिजाइनों और कलाकृतियों के लिए दिए गए कानूनी अधिकार हैं। बौद्धिक संपदा आविष्कारकों, कलाकारों और व्यवसायों की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करती है कि रचनाकारों को केवल अपनी कृतियों के उपयोग, विक्रय या लाइसेंस का ही अधिकार है, जिससे और अधिक आविष्कारों और नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। बौद्धिक संपदा के कई प्रकार हैं, और प्रत्येक सृजन के विभिन्न रूपों को संबोधित करता है। बौद्धिक संपदा कानून राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं। कॉपीराइट के तहत कलात्मक कृतियों की सुरक्षा से लेकर पेटेंट के माध्यम से आविष्कारों को सुरक्षित करने तक, ये सभी अधिकार व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए उपलब्ध हैं। यदि व्यक्ति और व्यवसाय अपने नवोन्मेषी हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें बौद्धिक संपदा को समझना चाहिए।

मानवीय बुद्धि और रचनात्मकता से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को बौद्धिक संपदा कहा जाता है। ये संपत्तियाँ विशिष्ट कानूनों द्वारा संरक्षित होती हैं, जो आविष्कारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करती हैं और दूसरों को इनका दुरुपयोग करने से रोकती हैं। बौद्धिक संपदा कानून का मूल उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि रचनाकारों को उनके काम के लिए पुरस्कृत किया जाए। बौद्धिक संपदा में आविष्कार, साहित्यिक कृतियाँ, कलात्मक कृतियाँ, प्रतीक, नाम, चित्र और डिजाइन शामिल हो सकते हैं।

साहित्य समीक्षा

बौद्धिक संपदा अधिकार आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था, नवाचार और तकनीकी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक साधन के रूप में उभरे हैं। विभिन्न विद्वानों ने IPR के विकास, विधिक संरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के संदर्भ में इसके प्रभाव और चुनौतियों का अध्ययन किया है।

कुमारी, पी. (2023) ने अपने अध्ययन में भारत की बौद्धिक संपदा प्रणाली के विधिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए बताया कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य जैसे अधिकार नवाचार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी संकेत किया कि प्रभावी विधिक व्यवस्था नवाचार और उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तिवारी एवं अन्य (2011) ने अपने शोध में विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते को बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक मानकों की स्थापना में महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार ट्रिप्स समझौते ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए, जिससे सदस्य देशों की विधिक व्यवस्थाओं में

Original Research

Copyright© 2026, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

व्यापक परिवर्तन हुए।

हलदर (2024) ने अपने अध्ययन में बौद्धिक संपदा अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, किन्तु जागरूकता और कार्यान्वयन की कमी विकास में बाधा बन सकती है।

चौहान (2024) ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों की विधिक संरचना और नवाचार के बीच संबंध का अध्ययन करते हुए पाया कि भारत की वर्तमान बौद्धिक अधिकार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति के अनुरूप अधिक प्रभावी बन सके।

वेंगोपल (2025) ने पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) की सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय बौद्धिक संपदा कानूनों की सीमाओं का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार पारंपरिक ज्ञान की सामुदायिक और पीढ़ीगत प्रकृति के कारण वर्तमान बौद्धिक अधिकार कानून पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं कर पाते, जिससे विधिक सुधार की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

हाल के अध्ययनों में डिजिटल युग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों की नई चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। सिंह एवं सिंह (2026) के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आविष्कारों और डिजिटल सामग्री के संदर्भ में भारत के वर्तमान कानूनों में स्पष्टता का अभाव है, जिससे नीति–निर्माण और न्यायिक व्याख्या में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- बौद्धिक संपदा अधिकारों की सैद्धांतिक अवधारणा का विश्लेषण करना।
- बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों और उनकी विधिक प्रकृति का अध्ययन करना।
- भारत में लागू बौद्धिक संपदा संबंधी विधानों का समालोचनात्मक परीक्षण करना।
- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करना।

शोध की विधि

प्रस्तुत शोधलेख में वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी मुख्य रूप से पूर्व में उपलब्ध सूचना स्रोतों जैसे पुस्तकों, शोध लेखों, पत्र–पत्रिकाओं एवं इंटरनेट आदि से प्राप्त की गई है। इस शोध में किसी भी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण अथवा सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया गया है, बल्कि उपलब्ध सूचनाओं का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की सैद्धांतिक अवधारणा का विश्लेषण

बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights – IPR) आधुनिक विधि व्यवस्था का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग हैं, जो मानव की बौद्धिक, रचनात्मक एवं नवोन्मेषी क्षमता को विधिक संरक्षण प्रदान करते हैं। औद्योगीकरण, वैश्वीकरण तथा ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के साथ–साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणा ने व्यापक महत्त्व प्राप्त किया है। ये अधिकार न केवल सृजनकर्ता के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि नवाचार को प्रोत्साहित कर सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी विकास में भी योगदान देते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सैद्धांतिक अवधारणा को समझने के लिए उनके दार्शनिक, विधिक एवं सामाजिक आधारों का विश्लेषण आवश्यक है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणा :– बौद्धिक संपदा से तात्पर्य उन अमूर्त संपत्तियों से है, जो मानव मस्तिष्क की सृजनात्मक प्रक्रिया का परिणाम होती हैं, जैसे आविष्कार, साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियाँ, प्रतीक, नाम, डिजाइन तथा तकनीकी ज्ञान। जब इन अमूर्त संपत्तियों को कानून द्वारा मान्यता एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है, तब इन्हें बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। इस प्रकार, बौद्धिक संपदा अधिकार एक विधिक तंत्र है, जिसके माध्यम से सृजनकर्ता को उसके बौद्धिक श्रम के उपयोग एवं दोहन पर विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

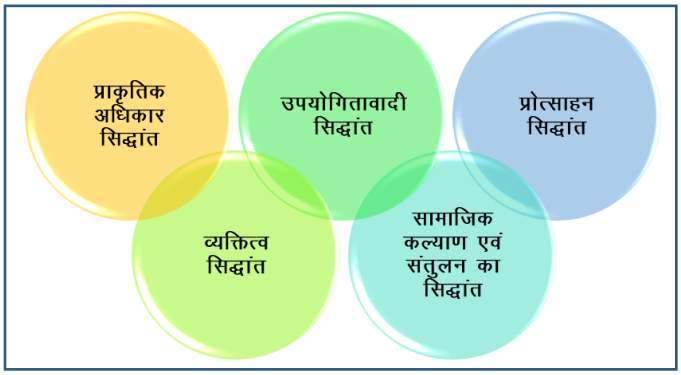

Figure 1: बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणा

प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत

बौद्धिक संपदा अधिकारों की सैद्धांतिक नींव प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में निहित है, जिसका प्रमुख प्रतिपादक जॉन लॉक माना जाता है। लॉक के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम के फल पर स्वाभाविक अधिकार प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक श्रम द्वारा किसी नवीन विचार, आविष्कार या रचना का सृजन करता है, तो उस पर उसका नैतिक एवं प्राकृतिक अधिकार स्थापित हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकारों का विस्तार हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे।

हालाँकि, इस सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की जाती है कि बौद्धिक संपदा अमूर्त होती है और उस पर पूर्ण स्वामित्व की अवधारणा सामाजिक हितों के प्रतिकूल हो सकती है।

उपयोगितावादी सिद्धांत (Utilitarian Theory)

उपयोगितावादी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया, बौद्धिक संपदा अधिकारों को सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा से अधिक सामाजिक लाभ की अधिकतम प्राप्ति है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि सृजनकर्ता को सीमित अवधि के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जाएँ, तो वह नवाचार एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरित होगा, जिसका दीर्घकालीन लाभ संपूर्ण समाज को प्राप्त होगा। पेटेंट एवं कॉपीराइट जैसे अधिकार इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, जहाँ संरक्षण की अवधि सीमित होती है और उसके पश्चात् कृति सार्वजनिक क्षेत्र (Public Domain) में आ जाती है।

प्रोत्साहन सिद्धांत (Incentive Theory)

प्रोत्साहन सिद्धांत बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यावहारिक आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि सृजनकर्ता को उसके नवाचार या रचना से आर्थिक लाभ की संभावना न हो, तो वह अनुसंधान एवं सृजन में निवेश नहीं करेगा। विशेष रूप से तकनीकी आविष्कारों और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में यह सिद्धांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसंधान एवं विकास में भारी लागत एवं जोखिम सम्मिलित होता है। पेटेंट अधिकारों का उद्देश्य इसी जोखिम की भरपाई करना और नवाचार को प्रोत्साहन देना है।

व्यक्तित्व सिद्धांत (Personality Theory)

हेगेल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार, बौद्धिक कृतियाँ सृजनकर्ता के व्यक्तित्व का विस्तार होती हैं। लेखक, कलाकार या आविष्कारक अपनी कृति के माध्यम से अपनी पहचान, विचारधारा और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। अतः बौद्धिक संपदा अधिकार केवल आर्थिक अधिकार नहीं, बल्कि नैतिक अधिकार भी हैं। कॉपीराइट कानून में नैतिक अधिकारों (Moral Rights) की अवधारणा इसी सिद्धांत का प्रतिफल है, जहाँ लेखक को अपनी कृति की अखंडता और श्रेय का अधिकार प्राप्त होता है।

सामाजिक कल्याण एवं संतुलन का सिद्धांत

आधुनिक विधिक दृष्टिकोण में बौद्धिक संपदा अधिकारों को पूर्ण या निरंकुश अधिकार नहीं माना जाता। इनका उद्देश्य निजी हित और सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करना है। यदि बौद्धिक संपदा अधिकार अत्यधिक कठोर हों, तो वे ज्ञान के प्रसार, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।इसी कारण, अधिकांश विधि प्रणालियों में अपवाद एवं सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, जैसे कि अनिवार्य लाइसेंसिंग, फेयर यूज, शोध एवं शिक्षा के लिए सीमित उपयोग आदि।

बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों और उनकी विधिक प्रकृति का अध्ययन

बौद्धिक संपदा अधिकार आधुनिक विधिक व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनका उद्देश्य मानव की बौद्धिक, रचनात्मक एवं नवोन्मेषी गतिविधियों को विधिक संरक्षण प्रदान करना है। औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के वर्तमान युग में बौद्धिक संपदा के विविध रूप सामने आए हैं, जिनका संरक्षण अलग–अलग विधिक तंत्रों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की बौद्धिक संपदा की प्रकृति, उद्देश्य, संरक्षण की अवधि तथा अधिकारों की सीमा भिन्न होती है। अतः बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी विधिक प्रकृति का अध्ययन न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से, बल्कि व्यावहारिक एवं विधिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है।

बौद्धिक संपदा का वर्गीकरण

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार, बौद्धिक संपदा को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–औद्योगिक संपदा (Industrial Property) तथा कॉपीराइट एवं उससे संबंधित अधिकार (Copyright and Related Rights)। इसके अतिरिक्त, आधुनिक समय में पौधा प्रजाति संरक्षण, व्यापार रहस्य एवं पारंपरिक ज्ञान भी बौद्धिक संपदा के महत्वपूर्ण रूप के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

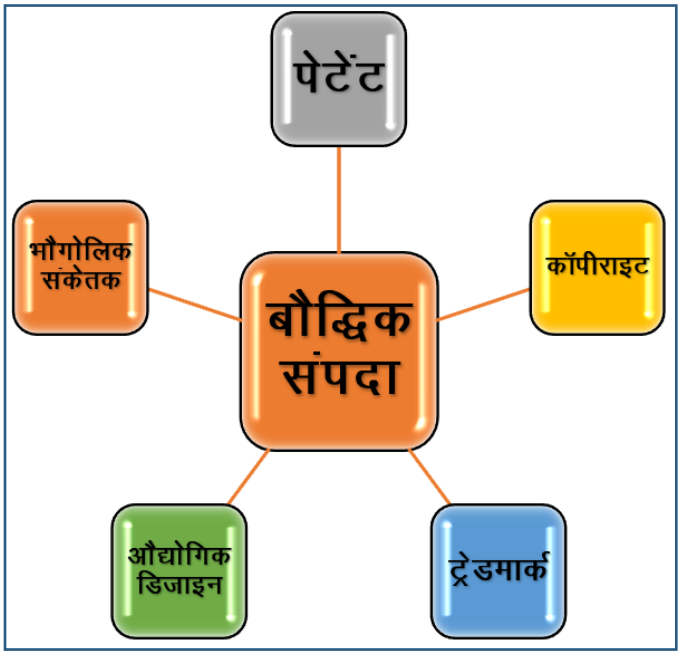

Figure 2: बौद्धिक संपदा का वर्गीकरण

पेटेंट (Patent)

पेटेंट बौद्धिक संपदा का एक प्रमुख रूप है, जो तकनीकी आविष्कारों को संरक्षण प्रदान करता है। पेटेंट का उद्देश्य ऐसे नवीन, उपयोगी एवं औद्योगिक रूप से लागू होने योग्य आविष्कारों को सीमित अवधि के लिए विशेषाधिकार प्रदान करना है। भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेंट संरक्षण की अवधि सामान्यतः 20 वर्ष निर्धारित की गई है।

विधिक प्रकृति की दृष्टि से पेटेंट एक विशिष्ट (Exclusive) तथा नकारात्मक अधिकार है, जिसके अंतर्गत पेटेंटधारी दूसरों को उस आविष्कार के निर्माण, उपयोग या विक्रय से रोक सकता है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक हित में अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसी व्यवस्थाएँ भी अधिनियम में निहित हैं।

कॉपीराइट (Copyright)

कॉपीराइट साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक एवं कलात्मक कृतियों के साथ–साथ सिनेमैटोग्राफ फिल्मों एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लेखक को उसकी कृति पर आर्थिक एवं नैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कॉपीराइट की विधिक प्रकृति द्वैध (Dual Nature) है, जिसमें आर्थिक अधिकारों के साथ–साथ नैतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। नैतिक अधिकार लेखक के व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं और इन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कॉपीराइट का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करना भी है।

ट्रेडमार्क (Trade Marks)

ट्रेडमार्क वस्तुओं एवं सेवाओं की पहचान एवं भेद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह किसी शब्द, चिन्ह, प्रतीक, रंग या ध्वनि के रूप में हो सकता है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेडमार्क को विधिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। विधिक दृष्टि से ट्रेडमार्क एक पहचानात्मक अधिकार (Indicative Right) है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाना और व्यापारिक प्रतिष्ठा (Goodwill) की रक्षा करना है। यह अधिकार नवीकरणीय है और निरंतर उपयोग के साथ अनिश्चित काल तक अस्तित्व में रह सकता है।

औद्योगिक डिजाइन (Industrial Designs)

औद्योगिक डिजाइन उत्पाद के बाह्य स्वरूप, आकार, पैटर्न या अलंकरण से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य उत्पाद की दृश्यात्मक आकर्षण को संरक्षण प्रदान करना है। डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत औद्योगिक डिजाइन का संरक्षण किया जाता है। इसकी विधिक प्रकृति सीमित एवं विशिष्ट है, क्योंकि यह केवल सौंदर्यात्मक विशेषताओं तक सीमित रहती है, न कि तकनीकी कार्यप्रणाली तक। डिजाइन अधिकार औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indications)

भौगोलिक संकेतक ऐसे संकेत होते हैं, जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ते हैं, जैसे दार्जिलिंग चाय। भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 के अंतर्गत इनका संरक्षण किया जाता है। इसकी विधिक प्रकृति सामूहिक (Collective Right) होती है, जो किसी एक व्यक्ति के बजाय समुदाय को प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान एवं क्षेत्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करना है।

भारत में लागू बौद्धिक संपदा संबंधी विधानों का समालोचनात्मक परीक्षण

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का विधिक ढाँचा औपनिवेशिक काल से विकसित होकर वैश्वीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के वर्तमान चरण तक पहुँचा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं, विकासशील अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक संपदा कानूनों को विकसित किया। किंतु 1995 में विश्व व्यापार संगठन के गठन एवं ट्रिप्स समझौते के लागू होने के पश्चात भारतीय बौद्धिक संपदा विधानों में व्यापक परिवर्तन किए गए। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में लागू प्रमुख बौद्धिक संपदा विधानों का समालोचनात्मक परीक्षण करना है, जिससे यह मूल्यांकन किया जा सके कि ये विधियाँ नवाचार, सार्वजनिक हित एवं अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने में कितनी सफल रही हैं।

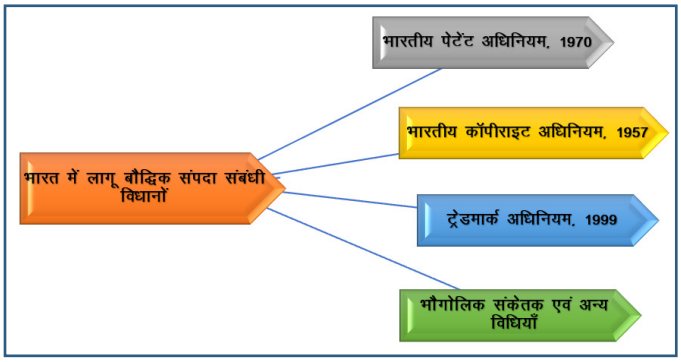

Figure 3: भारत में लागू बौद्धिक संपदा संबंधी विधानों

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 को प्रारंभ में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वदेशी उद्योग के संरक्षण की दृष्टि से तैयार किया गया था। यह अधिनियम प्रक्रिया पेटेंट को मान्यता देता था, जिससे दवा उद्योग में सस्ती औषधियों का उत्पादन संभव हुआ। हालाँकि, ट्रिप्स समझौते के अनुपालन हेतु 2005 में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था लागू की गई। समालोचनात्मक दृष्टि से यह परिवर्तन विवादास्पद रहा, क्योंकि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ने तथा दवाओं की कीमतों में वृद्धि की आशंका व्यक्त की गई। इसके साथ , अधिनियम की धारा 3(क), अनिवार्य लाइसेंसिंग तथा सरकारी उपयोग जैसी व्यवस्थाएँ यह दर्शाती हैं कि भारतीय विधायिका ने सार्वजनिक हित को पूर्णतः उपेक्षित नहीं किया है। 'Novartis v- Union fo India' का निर्णय इस संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। 2012 के संशोधन द्वारा डिजिटल युग की चुनौतियों को संबोधित किया गया तथा लेखकों एवं कलाकारों के अधिकारों को सुदृढ़ किया गया। समालोचनात्मक रूप से देखा जाए तो अधिनियम में नैतिक अधिकारों की मान्यता एक सकारात्मक पक्ष है, किंतु डिजिटल पाइरेसी, प्रवर्तन की कमजोरी तथा तकनीकी विकास के अनुरूप न्यायिक क्षमता की कमी अभी भी गंभीर समस्याएँ बनी हुई हैं।

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 ने व्यापारिक पहचान एवं उपभोक्ता संरक्षण को विधिक आधार प्रदान किया। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि यह सेवा–चिन्ह, सामूहिक चिन्ह एवं प्रमाणीकरण चिन्ह को भी मान्यता देता है। हालाँकि, व्यावहारिक स्तर पर ट्रेडमार्क पंजीकरण में विलंब, प्रवर्तन एजेंसियों की सीमित क्षमता तथा ऑनलाइन उल्लंघनों की चुनौती इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

भौगोलिक संकेतक एवं अन्य विधियाँ

भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 पारंपरिक ज्ञान एवं क्षेत्रीय उत्पादों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु इसके व्यावसायिक दोहन एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान की दिशा में अभी भी पर्याप्त प्रयासों का अभाव है। इसी प्रकार, पौधा प्रजाति संरक्षण अधिनियम, 2001 किसानों और प्रजनकों के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, जो विकासशील देशों के लिए एक विशिष्ट मॉडल प्रस्तुत करता है।

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन

वैश्विक व्यापार एवं ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था के युग में बौद्धिक संपदा अधिकार अंर्तराष्ट्रीय विधि का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं। विभिन्न अंर्तराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से बौद्धिक संपदा संरक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। भारत, एक विकासशील देश होने के नाते, इन अंर्तराष्ट्रीय दायित्वों और अपने राष्ट्रीय हितों के मध्य संतुलन बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता रहा है। इस खंड का उद्देश्य प्रमुख अंर्तराष्ट्रीय संधियों एवं भारत की अंर्तराष्ट्रीय प्रतिबद्ध ताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है।

पेरिस कन्वेंशन एवं बर्न कन्वेंशन

पेरिस कन्वेंशन औद्योगिक संपदा के संरक्षण से संबंधित है, जबकि बर्न कन्वेंशन साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों से संबंधित है। इन संधियों की विशेषता राष्ट्रीय उपचार (National Treatment) का सिद्धांत है। भारत ने इन संधियों को स्वीकार करते हुए अपने विधिक ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित किया, किंतु इनका प्रभाव मुख्यतः विकसित देशों के हितों के अनुरूप माना जाता है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

WIPO की संधियाँ बौद्धिक संपदा के वैश्विक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि वह वैश्विक सहयोग का समर्थक है। फिर भी, यह आलोचना की जाती है कि WIPO की नीतियाँ विकासशील देशों की आवश्यकताओं की तुलना में विकसित देशों के हितों को अधिक प्राथमिकता देती हैं।

ट्रिप्स समझौता (TRIPS Agreement)

ट्रिप्स समझौता भारत की बौद्धिक संपदा नीति में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसने न्यूनतम मानकों को अनिवार्य कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अपने कानूनों में व्यापक संशोधन करने पड़े। समालोचनात्मक दृष्टि से ट्रिप्स को "one-size-fits-all" दृष्टिकोण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेषतः सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाओं की उपलब्धता के संदर्भ में। हालाँकि, दोहा घोषणा (Doha Declaration) ने विकासशील देशों को कुछ लचीलापन प्रदान किया, जिसका भारत ने प्रभावी रूप से उपयोग किया है।

इस प्रकार भारत ने अंर्तराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हुए भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विधिक लचीलापन अपनाया है। अनिवार्य लाइसेंसिंग, पेटेंट अपवाद एवं किसानों के अधिकार इस बात के प्रमाण हैं कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं किया है।

निष्कर्ष

बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों की विधिक प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि बौद्धिक संपदा एक समरूप अवधारणा नहीं, बल्कि विविध अधिकारों का समुच्चय है। प्रत्येक प्रकार की बौद्धिक संपदा का उद्देश्य, संरक्षण तंत्र एवं अधिकारों की सीमा भिन्न है। इनका समुचित संतुलन नवाचार, प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक हित की रक्षा के लिए अनिवार्य है। अतः बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी विधिक प्रकृति का अध्ययन आधुनिक विधि व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।बौद्धिक संपदा अधिकारों की सैद्धांतिक अवधारणा बहुआयामी है, जिसमें प्राकृतिक अधिकार, उपयोगितावाद, प्रोत्साहन, व्यक्तित्व एवं सामाजिक कल्याण जैसे सिद्धांतों का समन्वय देखने को मिलता है। ये अधिकार न केवल सृजनकर्ता को संरक्षण प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं भारत की प्रतिबद्ध ताओं का अध्ययन यह दर्शाता है कि भारत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में असमानताएँ विद्यमान हैं, फिर भी भारत ने अपनी विकासशील आवश्यकताओं के अनुरूप बौद्धिक संपदा नीति को ढालने का प्रयास किया है। भविष्य में एक अधिक न्यायसंगत एवं समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा व्यवस्था की आवश्यकता है।

इस प्रकार, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सैद्धांतिक अवधारणा का उद्देश्य निजी अधिकारों और सार्वजनिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना है, ताकि ज्ञान का संरक्षण भी हो और उसका प्रसार भी सुनिश्चित किया जा सके। समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय बौद्धिक संपदा विधानों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वयं को विकसित किया है, किंतु प्रवर्तन, पहुँच एवं सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। अतः इन विधानों का निरंतर समालोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

संदर्भ–ग्रन्थ सूची

1. Abhyankar, R. (2014). The Government of India's role in promoting innovation through policy initiatives for entrepreneurship development. Technology Innovation Management Review,4(8),11-17.
2. Basant, R. (2011). Intellectual property protection, regulation and innovation in developing economies: The case of the Indian pharmaceutical industry. Innovation and Development, 1(1), 115–133.
3. Bouet, D. (2015). A study of intellectual property protection policies and innovation in the Indian pharmaceutical industry and beyond. Technovation, 38, 31–41.
4. Chauhan, K. (2024). Intellectual property rights and innovation: A study of India's legal framework. Indian Journal of Law, 2(3), 38–45.
5. Forero-Pineda, C. (2006). The impact of stronger intellectual property rights on science and technology in developing countries. Research Policy, 35(6), 808–824.
6. Gupta, S. (2022). Copyright law in India: Recent amendments and the digital age. Journal of Intellectual Property

Rights, 3(4),27-32.
7. Haldar, S. (2024). Intellectual property rights in India: Categories and enforcement challenges. International Educational Research Journal, 10(2), 45–49.
8. Kumari, P. (2023). Intellectual property rights and innovation: A study of India's legal framework. Indian Journal of Law, 1(1), 8–15.
9. Liu, K. C., & Cheng, W. (2021). IPR protection for Asian development: Opportunities and challenges from global value chains and the digital economy–Singapore. Intellectual Property Rights and ASEAN Development in the Digital Age, 29-50.
10. Ockwell, D. G., Haum, R., Mallett, A., & Watson, J. (2010). Intellectual property rights and low carbon technology transfer: Conflicting discourses of diffusion and development. Global Environmental Change, 20(4), 729–738.
11. Singh, A., & Singh, R. (2026). Artificial intelligence and intellectual property rights: Emerging legal challenges in India. International Journal of Law and Technology, 4(1), 78–85.
12. Tiwari, R., & Bansal, K. (2011). Intellectual property rights and TRIPS agreement: An overview. Journal of Intellectual Property Rights, 16(3), 201–206.
13. Tiwari, R., Tiwari, G., Rai, A. K., & Srivastava, B. (2011). Management of intellectual property rights in India: An updated review. Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 2(1), 2–12.
14. Vengopal, M. (2025). Traditional knowledge and its protection under Indian intellectual property laws: Challenges and prospects. Journal of Legal Studies and Research, 11(1), 55–63.
15. Yang, G., & Maskus, K. E. (2001). Intellectual property rights and licensing: An econometric investigation. Weltwirtschaftliches Archiv, 137(1), 58–79.